संख्या– 1228/XXVIII–5–2009–52/2005

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5

देहरादूनः दिनांकः 26 अक्टूबर 2009

विषयः वित्तीय वर्ष 2009–10 में बारहवें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–5प/1/25/2009–10/37443 दि0 25.09.09 तथा पत्र संख्या 5प/1/25/2009–10/39554 दिनांकः 12.10.09 के संदर्भ में व शासनादेश संख्या 1031/XXVIII–5–2009–52/2005 दिनांक 01.09.09 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश द्वारा 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नांकित विवरणानुसार रू0 950.00 लाख की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखी गयी थी :–

अनुदान संख्या–12

(धनराशि लाख रू0 में)

| लेखाशीर्षक | | (धनराशि लाख रू0 में) |
|---|---|---|
| 2210– | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–आयोजनेत्तर | |
| 01– | शहरी स्वास्थ्य सेवाये–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति | |
| 110– | अस्पताल तथा औषधालय | |
| 01– | केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना | |
| 0105– | 12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सालयों का सुदृढीकरण | 600.00 |

अनुदान संख्या–12

| लेखाशीर्षक | | (धनराशि लाख रू0 में) |
|---|---|---|
| 2210– | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– आयोजनेत्तर | |
| 03– | ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाये–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति | |
| 110– | अस्पताल तथा औषधालय | |
| 01– | केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें | |
| 0101– | 12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत विभिन्न चिकि0 का सुदृढीकरण | 350.00 |
| | कुल योग | 950.00 |

2– 12वें वित्त आयोग की उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित रू0 950.03 लाख की कार्ययोजना के सापेक्ष रू0 950.00 लाख की उक्त जो धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखी गयी थी एवं जिसके सापेक्ष रू0 950.00 के व्यय का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, को सुसंगत मदों में व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत शासनादेशों, वित्त हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के आलोक में नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(2) उक्त धनराशि का व्यय दिसम्बर माह तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाय एवं उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र 31 दिसम्बर, 2009 तक वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय ताकि धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जा सकें। यदि उपयोगिता प्रमाण–पत्र 31–12–2009 तक प्राप्त नही होता है तो यह धनराशि लैप्स हो जायेगी और भारत सरकार द्वारा इस धनराशि की प्रतिपूर्ति नही की जायेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–273(NP)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2009 दिनांक 22.10.09 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव,

संख्या–1228(1) XXVIII–5–2009–52/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल उत्तराखण्ड।
4– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
6– मुख्य कोषाधिकारी देहरादून।
7– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड
8– अपर सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
9– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10– मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
11– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
12– गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

F:\Users\Medical 5\Documents\KL Sukla\12 Vitt Ayog\12 Vitt Ayog- Letter.doc